

-//1//-

आपराधिक प्रकरण क.-116/08

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क.-116/08

संस्थित दिनांक-25/02/08

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

अभियोगी

विरुद्ध

गुडडा उर्फ जयप्रकाश उयके पिता पूनाराम उम्र 33 वर्ष,

जाति प्रधान साकिन सोनपुरी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक- 25 / 11 / 2014 को घोषित)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (काउन्टस-10), 338(काउन्टस-2), 304ए(काउन्टस-2) का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-01.01.2008 को रात्रि 0.45 बजे बिठली से लूद मेन रोड़ थाना रूपझर के अन्तर्गत ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर वाहन में बैठे संतोष, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उयके को साधारण उपहति तथा अजय उयके, रविशंकर घोर उपहति कारित की तथा मूलचंद गोण्ड एवं सुनील गोण्ड की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रविशंकर पन्दे दिनांक 01.01.2008 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह रात्रि में ग्राम मण्डवा नदी से मूलचंद, सुनील, विशाल एवं अन्य साथियों के साथ ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 50 ए. 0659 एवं ट्राली नं. 0660 आयसर लाल रंग में रेत भरकर जा रहे था। ट्रैक्टर के चालक गुड्डा उयके ने ट्रैक्टर को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिठली से लूद के बीच मुख्य रोड़ पर जामुन पेड़ के पास रोड़ के किनारे ट्राली को पलटा दिया। ट्राली के पलटने से ट्राली में बैठे मूलचंद, सुनील, विशाल तथा अन्य साथियों को चोटें आई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी बिठली में अपराध क्रमांक 0/08 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध कायम कर असल कायमी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/08 का अपराध पंजीबद्ध किया। आहतगण की चोटों का परीक्षण करवाया गया। ईलाज के दौरान अधिक चोट लगने से शासकीय अस्पताल बालाघाट में आहत मूलचन्द, सुनील फौत हो गये तथा आहत अजय उयके, रविशंकर पन्दे की एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग होना तथा अन्य आहतगण को साधारण चोटें होना पाया गया। विवेचना में मौकानक्शा एवं जप्ती कार्यवाही कर ट्राली के टुलबॉक्स में कच्ची महुआ शराब को जप्त कर आबकारी उपनिरीक्षक से परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) प्रकरण को माननीय सत्र न्यायालय, बालाघाट को उपार्पित किए जाने पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट द्वारा आरोप विरचित कर धारा-288(1)(क) दं.प्र.सं. के तहत प्रकरण वापस भेजा गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (काउन्टस 10), 338(काउन्टस-2), 304ए(काउन्टस-2) का आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार

किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक-01.01.2008 को रात्रि 0:45 बजे बिठली से लूद आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्र. एम.पी.50 ए. 0659 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिलाकर ट्राली में बैठे संतोष, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उयके को साधारण उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को पलटी खिलाकर ट्राली में बैठे अजय उयके, रविशंकर को घोर उपहति कारित की ?

(4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को पलटी खिलाकर ट्राली में बैठे मूलचंद गोंड, सुनील गोंड की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) अभियोजन साक्षी/फरियादी रविशंकर (अ.सा. 11) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 की है। वह घटना दिनांक को लूद से आगे रेत भरकर ट्रैक्टर से आ रहा था। वह उस समय रेत की ट्राली में बैठा था। उक्त ट्रैक्टर आरोपी चला रहा था। ट्रैक्टर में 20-25 लोग बैठे हुए थे। उनका ट्रैक्टर आगे दो लोगों को साईड लेकर चलने के कारण ट्राली पलट गई थी। दुर्घटना यदि दो लोग सामने नहीं आते तो नहीं होती। दुर्घटना से बाएँ पैर एवं ओंठ के पास चोट थी। उसने स्वयं जाकर रिपोर्ट नहीं किया था। पुलिस वाले घटनास्थल पर आ गए थे। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और पुलिस को कथन दिये जाने से भी इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक कुंवर बिसेन (अ.सा. 18) का कहना है कि वह दिनांक 01.01.2008 को पुलिस चौकी बिठली में पदस्थ था। उक्त दिनांक को रविशंकर पन्दे ने आरोपी गुड्डा के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट इस बाबत् लेख कराई थी कि उसने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्राली को पलटा दिया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0/08 अन्तर्गत धारा-279, 337 भा.दं.वि. का अपराध लेख किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर जाकर उसने मौके से एक ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 50 ए. 0659 आयसर कंपनी का लाल रंग का मय ट्राली के एवं टूल बॉक्स में रखी कांच की बोतल में रखी 300 एम.एल. महुआ शराब सहित जप्त किया था, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिस



पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आहत रविशंकर, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उके का मुलाहिजा फार्म भरकर चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था। विवेचना के दौरान ही संतोष, रविंद्र, समीर, विशाल, अरविंद, मुन्ना, जितेन्द्र, रविशंकर, दिनेश, अजय कुमार, सुनील, सुखदेव, अनिल पन्दे, अनिल उके, घनश्याम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 01.1.2008 को मौके पर जाकर नजरी नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने जप्त ट्रैक्टर का वाहन परीक्षण अनिल वराडे द्वारा कराया था। थाना रूपझर से मार्ग क्रमांक 01/08 मृतक मूलचंद का मार्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा, शव परीक्षण फार्म, मृतक सुनील का मार्ग क्रमांक 02/08, मार्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा, नक्शा पंचायतनामा, शव परीक्षण आवेदन प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न किया था। दिनांक 15.1.2008 को उसने आरोपी गुड्डा उर्फ जयप्रकाश से एक ट्रैक्टर के दस्तावेज जप्तीपत्र प्रदर्श पी-9 अनुसार जप्त किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी-11 के माध्यम से उसके परिजन को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसने ट्रैक्टर की ट्राली से जप्त मदिरा को परीक्षण हेतु आबकारी विभाग, बालाघाट भिजवा दिया था, जिसका जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 प्रकरण में संलग्न है। उक्त घटना में आहत सुनील एवं मूलचंद की मृत्यु होने से अंतिम प्रतिवेदन में धारा-304ए भा.दं.वि. का इजाफा किया था।

(08)

अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा. 21) का कहना है कि वह दिनांक 01.10.2008 को थाना रूपझर में पदस्थ था। उसी दिनांक को चौकी बिठली से आरक्षक दिलीप तांडेकर क्र. 840 द्वारा अपराध क्र. 0/08, धारा-279, 337 भा.दं.वि. की डायरी असल नंबरी हेतु लाने पर उसके द्वारा असल नंबरी अपराध क्र. 02/08, धारा-279, 337 भा.दं.वि. का प्रदर्श पी-8 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

(09) अभियोजन साक्षी आबकारी उपनिरीक्षक सतीश कुमार कश्यप (अ.सा. 20) का कहना है कि वह दिनांक 16.01.2008 को आबकारी उड़न दस्ता बालाघाट में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को थाना रूपझर के अपराध क्र. 02/08 के प्रकरण में जप्त एक कांच की बोतल में भरा द्रव सीलबंद 300 एम.एल. शराब मुलाहिजा हेतु प्रधान आरक्षक कुंवर बिसेन क्र. 474 द्वारा लाने पर उसके द्वारा विधिवत सील तोड़कर परीक्षण किया था। शराब को देखने पर रंगीन द्रव दिखाई दे रहा था। चखने पर हाथभट्टी मदिरा का स्वाद था। सूंघने पर हाथभट्टी का गंध एवं लिट्मस टेस्ट द्रव में नीला पेपर डालने पर पेपर गुलाबी पाया। द्रव की मात्रा कम होने से तेजी मापी नहीं जा सकी। उसे द्रव परीक्षण का छः वर्ष का अनुभव है। जिसके आधार पर उसने उपरोक्त द्रव को हाथभट्टी मदिरा पाया। परीक्षण पश्चात विधिवत सीलबंद कर वापस किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉ. वी.पी.समद (अ.सा. 8) का कहना है कि वह दिनांक 02.01.2008 को आहत अजय उइके व. चंदुलाल को परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण में आहत अपनी बांयी कॉलर हडडी (क्लेविकल) के उपर दर्द होने की शिकायत कर रहा था। उस स्थान पर सूजन तथा दर्द होना पाया था। उसने एक्सरे की सलाह दी थी। दाहिने घुटने पर खरोंच का निशान था जो कठोर वस्तु द्वारा आना प्रतीत होता है, जो साधारण प्रकृति की थी। बांये घुटने में खरोंच के निशान था, जो कठोर वस्तु द्वारा कारित होना पाया, जो सामान्य प्रकृति की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

(11) अभियोजन साक्षी डॉ. डी.के.राउत (अ.सा. 19) का कहना है कि वह दिनांक 07.01.2008 को एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसकी बाएं तरफ की क्लेविकल हडडी (हडडी बोन) के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 01.1.2008 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत रविशंकर पिता पूनाराम के बाएं टखने के

जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 17 था। उसे डॉक्टर धुर्वे ने रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का उसने दिनांक 03.1.2008 को परीक्षण पर उसके बाएं तरफ की कैल्केमियम हडडी(एड्री की) में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-16 है। उसी दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत अनिल उइके पिता सूबेलाल के दाहिने जांघ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 16 था। उसे डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसकी जांघ की हडडी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-18 है। उसी दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत अनिल कुमार पिता रमेश के सीने की हडडी का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 12 था। उसे डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके सीने की हडडी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-20 है। उसी दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत सुखदेव पिता कलीमसिंह के बाएं कंधे के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 9 था। उसे डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके कंधे की हडडी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-22 है।

(12) अभियोजन साक्षी डॉ. के.के. पाराशन (अ.सा. 22) का कहना है कि वह दिनांक 01.1.2008 को आहत मूलचंद पिता तेजलाल का शव परीक्षण करने पर शरीर पर अकड़, पेट फुला हुआ, पेट पर एक छिला हुआ घाव था। चोट मृत्यु पूर्व की थी। उसके शरीर के सभी अंग रक्त की कमी से सफेद पड़ गए थे। उसका लीवर फटा, स्लीलिन फटी थी और एब्डामेनल रक्त से भरा था। मूत्राशय और जननेंद्रिय खाली थी।

उसके विचार से मृत्यु का कारण लीवर और स्पीलिन के फटने के कारण उसकी मृत्यु हुई। शव परीक्षण मृत्यु के 24 घंटे के भीतर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-23 पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को सुनील पिता सुखलाल के शव परीक्षण पर छाती पर सामने सूजन, सिर के दाहिने तरफ कंटूजन, पीछे के दाहिने तरफ एक छिला घाव था। उक्त चोटें मृत्यु पूर्व की थी। सिर के दाहिने तरफ टेम्पोरल बोन टूटी थी और इसके कारण मस्तिष्क के अंदर खून भर गया था। दाहिना फेफड़ा फट जाने के कारण खून इकट्ठा था। उसके हृदय में चोट थी और वह भी फट गया था। शरीर के अन्य भाग रक्त की कमी के कारण पीले पड़े थे। पसली दाहिने तरफ की चार, पांच एवं छः टूटी हुई थी। उसके मत से उसके स्कल फ्रेक्चर, सिर की हड्डी टूटने से एवं फेफड़े एवं हृदय का फट जाना मृत्यु का कारण था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 पर उसके हस्ताक्षर है।

(13) अभियोजन साक्षी घनश्याम मरकाम (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना रात्रि 10-11 बजे ग्राम लूद के पास की है। वह लूद जा रहा था तब उसने लूद के पहले ट्रेक्टर पलटा हुआ देखा। जिसमें बहुत से आदमी दबे पड़े हुए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर कौन चला रहा था उसकी जानकारी उसे नहीं है।

(14) अभियोजन साक्षी विदेशीलाल परिमल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना लूद मंडई की रात्रि 10-10.30 बजे लूद व कतियाटोला के बीच की है। घटना दिनांक को ट्रेक्टर में रेत भरकर आ रहे थे। ट्रेक्टर पलटा तब वह वहां पर गया था जिसमें उसने फंसे हुए लोगों को निकाला व पानी पिलाया। घटनास्थल पर ट्रेक्टर को चलाने वाला नहीं था वह फरार हो चुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके सामने ट्रेक्टर को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तथा घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा थाने पर ही बनाया था तथा उसने वही पर हस्ताक्षर किये थे। जप्ती की कार्यवाही पुलिस ने थाने पर ही की थी



तथा उसने वही पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में यह बताया है कि ट्रैक्टर किस स्पीड में चल रहा था उसकी जानकारी उसे नहीं है।

(15) अभियोजन साक्षी संतोष चौधरी (अ.सा. 3) का कहना है कि वह घटना दिनांक को ग्राम नारंगी के ट्रैक्टर से ग्राम बिठली की मंडई गए थे, आरोपी ट्रैक्टर को चला रहा था। जब वापसी में उक्त ट्रैक्टर की ट्राली पर रेत भरकर आ रहे थे तो ग्राम लूद के पास ट्राली पलट गई थी। उस समय उसके साथ अन्य 3-4 लोग और भी थे। घटना में उसे कोई चोट नहीं लगी थी। घटना कैसे कारित हुई उसे जानकारी नहीं है क्योंकि वह पीछे बैठा था। उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चला रहा था।

(16) अभियोजन साक्षी सुनील परिमल (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना ग्राम लूद और कतियाटोला के बीच रात्रि करीब 11.00 बजे की है। वह अपने ग्राम कतियाटोला पैदल आ रहा था। उसके साथ अन्य लोग भी थे। जब वह आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया तो ट्रैक्टर की ट्राली के नीचे एक लड़का दबा था और ट्रैक्टर चालक वहां पर नहीं था तथा अन्य लोग ट्राली के बाहर फेंका गये थे। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से पूछने पर ड्रायवर के वहां से भाग जाने की बात बताई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था उसने ट्रैक्टर के नम्बर नहीं देखे थे।

(17) अभियोजन साक्षी रविन्द्र उईके (अ.सा. 5) का भी कहना है कि घटना दिनांक को वह ट्रैक्टर में रेत भरकर लेकर आ रहे थे और उसमें 8-10 लोग और बैठे हुए थे। तभी आरोपी जो उक्त ट्रक को चला रहा था, प्लेन रोड़ पर जब 3-4 शराबी रोड़ पर खड़े थे तो उन्हें बचाने के लिए ट्रैक्टर को काटा था जिससे ट्राली पलट गई

थी, जिससे उसके सिर व घुटने के नीचे पैर में चोट लगी थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और पुलिस को कथन दिये जाने से भी इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(18) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी विशाल (अ.सा. 6) का भी कहना है कि घटना रात्रि 12 बजे की है। वे लोग ट्रैक्टर से रेत भरने के लिए ग्राम मंडवा गए थे। जब वे रेत भरकर वापस आ रहे थे तो ग्राम लूद के पास दो व्यक्ति शराब पीकर रोड़ पर खड़े हुए थे, आरोपी के द्वारा उन लोगों को बचाने की कोशिश में उक्त ट्रैक्टर पलट गया था जिससे उसके गाल पर चोट आई थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। उससे पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और पुलिस को कथन दिये जाने से भी इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(19) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी समीर उईके (अ.सा. 7) का भी कहना है कि घटना दिनांक को वह ट्रैक्टर से रेत भरने ग्राम मंडवा जा रहा था। उसके साथ उस समय विशाल, अरविंद, रविंद्र व अन्य लोग भी थे। जब वे वापस ट्रैक्टर में रेत भरकर ग्राम लूद पहुंचे तो सामने से एक व्यक्ति शराब पीकर रोड़ में आ रहा था जिसे बचाने के लिए आरोपी ने ट्रैक्टर को काटा जिससे ट्राली पलट गई थी जिससे उसके मस्तक पर चोट आई थी। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ नहीं की थी। उसका इलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। साक्षी को अभियोजन द्वारा

पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और पुलिस को कथन दिये जाने से भी इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(20) अभियोजन साक्षी जितेन्द्र (अ.सा. 9) का कहना है कि नारंगी में रोड़ पर शाम करीब 7 बजे की घटना है। वह ट्रेक्टर में था। ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। आरोपी ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था। रोड़ पर दो लोग दारू पीकर जा रहे थे। आरोपी ने हॉर्न बजाया किन्तु वे लोग रास्ते से नहीं हटे। तब आरोपी ने ट्रेक्टर को रोड़ के किनारे किया तो वह पलट गया। आरोपी की दुर्घटना में कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। ट्रेक्टर पलटने से उसके कमर में चोट आयी थी। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिए थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और पुलिस को कथन दिये जाने से भी इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(21) अभियोजन साक्षी अरविंद (अ.सा. 10) का कहना है कि ग्राम लूद की है। ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। ट्रेक्टर को आरोपी ने धीमी गति से चला रहा था। वे लोग ट्रेक्टर में रेत भरकर मंडवा से नारंगी जा रहे थे। तब ग्राम नारंगी रोड़ पर दो लोग शराब पीकर रोड़ से चल रहे थे। उक्त ट्रेक्टर के ड्रायवर ने हार्न बजाया किन्तु रास्ते पर चलने वाले नहीं हटे। तब आरोपी ने ट्रेक्टर को रोड़ के किनारे दो आदमियों को बचाने के लिए ट्रेक्टर पलट गया। ट्रेक्टर पलटने से उसके दाएं पैर में चोट आयी थी। उसका परीक्षण जिला चिकित्सालय बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को शराब पीकर तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर पलटी खिला दिया था और पुलिस को कथन

दिये जाने से भी इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(22) अभियोजन साक्षी दिनेश (अ.सा. 12) का कहना है कि घटना जनवरी 2008 की है। वह ट्रेक्टर से नारंगी से लूद मेला देखने के लिए जा रहे थे। ग्राम लूद में दो लोग शराब पीकर सामने से आ रहे थे, उन्हें बचाने के कारण ट्रेक्टर को साईड की तरफ मोड़ा तो ट्रेक्टर गड्ढे में गिर गया। जिससे दो लोगों की मृत्यु हो गई और उसके कमर में चोट लगी थी। जिसका इलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसे घटनास्थल पर पूछताछ कर बयान लिए थे। उसने पुलिस को बयान दिया था। घटना के समय वह और 7-8 लोग अन्य ट्रेक्टर की ट्राली में बैठे थे। घटना के समय आरोपी गुड्डा उर्फ जयप्रकाश ट्रेक्टर चला रहा था। घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को ज्यादा तेज भी नहीं था और ज्यादा धीमी नहीं था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(23) अभियोजन साक्षी अजय (अ.सा. 13) का कहना है कि घटना वर्ष 200 की है। वह तथा करीब 10-15 लोग ट्रेक्टर ट्राली से ग्राम लूद से नारंगी गांव वापस आ रहे थे। जब रास्ते में ग्राम लूद के मोड़ पर आये थे तब लूद गांव के कुछ दूरी पर दो लोग सामने से अचानक आ गये तो उनको बचाने के लिए डायवर ने ट्रेक्टर ट्राली को साईड में किया तो ट्रेक्टर-ट्राली पलट गई। जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई। जिससे उसे भी दाएं हाथ के कंधे के पीछे पीठ में चोट आई थी। उसका डाक्टरी परीक्षण हुआ था। उस समय आरोपी डायवर ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

(24) अभियोजन साक्षी सुखदेव (अ.सा. 15) का कहना है कि घटना वर्ष 2008 को वह अन्य साथियों के साथ मंडवा नाला से रेत भरकर ट्रेक्टर से उकवा आ रहे थे। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी गुड्डा चला रहा था। जब उनका ट्रेक्टर लूद और बिठली के बीच पहुंचा तो पलट गया था। उस समय आरोपी गुड्डा शराब पिये हुए था। आरोपी ट्रेक्टर को तेज गति से चला रहा था। वह ट्रेक्टर की ट्राली में बैठा हुआ था। पलटने



से उसे सीने में चोट लगी थी। आरोपी को उन्होंने तेज चलाने से मना किया था। तब भी वह ट्रैक्टर को धीरे नहीं चला रहा था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने आरोपी को शराब पीते हुये नहीं देखा और न ही पुलिस को ऐसे बयान दिये थे।

(25) अभियोजन साक्षी अनिल उइके (अ.सा. 16) का कहना है कि वह घटना दिनांक को आरोपी गुड्डा के साथ मण्डवा रेत लाने ट्रैक्टर से गया था। उसके साथ अन्य 10-11 लोग भी थे, जिनमें जितेंद्र, अरविंद, रविशंकर, मूलचंद, सुनील भी थे। जब वे लोग ट्रैक्टर से रेत भरकर आ रहे थे तब ग्राम लूद के सामने मोड़ पर ट्रैक्टर पलट गया था क्योंकि ट्रैक्टर तेज रफ्तार से चल रहा था। उस समय ट्रैक्टर आरोपी गुड्डा उर्फ जयप्रकाश चला रहा था। उक्त दुर्घटना में उसके दाहिने पैर में चोट आई थी। आरोपी गुड्डा शराब के नशे में ट्रैक्टर चला रहा था। उन लोगों ने आरोपी से कहा था कि ट्रैक्टर धीरे चलाओ तो उसने नहीं सुना और ट्रैक्टर को लहराते हुए रोड़ भर तेज गति से चलाता रहा। घटना के संबंध में उसने पुलिस को अपना बयान दिया था। उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में यह बताया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श डी-1 के कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी ट्रैक्टर लहराते हुये तेजगति से चला रहा था।

(26) अभियोजन साक्षी सागर उइके (अ.सा. 17) का कहना है कि घटना 31 दिसंबर 2008 की है। आरोपी उनके ट्रैक्टर में ड्रायवर था। वह अपने घर पर था, तभी गांव के लड़कों ने आकर बताये कि तुम्हारा ट्रैक्टर पलट गया है तो उसने लूद में जाकर देखा था कि ट्रैक्टर पलटा हुआ था और ट्रैक्टर में बैठे हुए दो लोग मूलचंद और सुनील की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 उसने चौकी बिठली में लिखाया था। साक्षी को प्रदर्श पी-6 दिखाने पर उसने कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर हैं। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी थी। पुलिस ने

प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट अपनी मर्जी से लेखबद्ध की थी। उसने पुलिस को घटना के संबंध में नहीं बताया था।

(27) अभियोजन साक्षी अनिल पन्ने (अ.सा. 23) का कहना है कि वह आरोपी, रविशंकर, मृतक मूलचंद एवं सुनील को जानता है। आरोपी ने ट्रेक्टर में रेत के लिए चलने के लिए कहा तो वह, सुखदेव, अजय, अरविंद उयके, अनिल, दिनेश, सुनील, मूलचंद, रविशंकर एवं रवि उयके, समीर उयके सभी लोग ट्रेक्टर में बैठकर मंडवा नाला में गये थे। रेत भरकर वापस आ रहे थे और तेजी से चला रहा था तो उसने धीरे चलाने को कहे थे, लेकिन वह नहीं माना। बिठली और लूद के बीच जैसे पहुंचे तो आरोपी ने दारू पीकर तेज गति से चलाकर ट्रेक्टर को चलाकर पलटा दिया और वहां से भाग गया था। उक्त घटना में उसे कमर पर चोट लगी थी और मूलचंद और सुनील की मौके पर ही ट्रेक्टर में दबने से मृत्यु हुई थी और अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। उसका और अन्य आहतों का उपचार शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को बिना लायसेंस के चला रहा था। उक्त घटना ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर बियान लिए थे और उसने घटना की जानकारी पुलिस को दिया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि घटना दिनांक 11.12.2007 की रात्रि के 10:00 बजे की है, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये। उसने आरोपी को शराब पीते हुये भी नहीं देखा। आरोपी वाहन को किस गति से चला रहा था उसे जानकारी नहीं है।

(28) अभियोजन साक्षी असरत वाडिवा (अ.सा. 14) का कहना है कि वह दिनांक 15.1.2008 को ग्राम लूद के प.ह.नं. 29 में पटवारी के पद पर पदस्थ था। उस दिन उसने तहसीलदार बैहर के आदेशानुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-8 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसमें उसने ग्राम लूद और बिठली मार्ग के मध्य घटनास्थल दर्शाया है। घटनास्थल पर ट्रेक्टर ट्राली सहित पलट गया था, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उसने घटनास्थल का पंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार

किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने घटनास्थल का पंचनामा घटना के पन्द्रह दिन बाद बनाया था।

(29) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने क्लेम राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराई है, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(30) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(31) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक कुंवर बिसेन (अ.सा. 18) का कहना है कि वह दिनांक 01.01.2008 को पुलिस चौकी बिठली में पदस्थ था। उक्त दिनांक को रविशंकर पन्ने ने आरोपी गुड्डा के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट इस बाबत लेख कराई थी कि उसने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्राली को पलटा दिया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0/08 अन्तर्गत धारा-279, 337 भा.दं.वि. का अपराध लेख किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर जाकर उसने मौके से एक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50 ए. 0659 आयसर कंपनी का लाल रंग का मय ट्राली के एवं टूल बॉक्स में रखी कांच की बोतल में रखी 300 एम.एल. महुआ शराब सहित जप्त किया था, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत रविशंकर, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उके का मुलाहिजा फार्म भरकर चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था। विवेचना के दौरान ही संतोष, रविन्द्र, समीर, विशाल, अरविंद, मुन्ना, जितेन्द्र, रविशंकर, दिनेश, अजय कुमार, सुनील, सुखदेव, अनिल पन्ने, अनिल उके, घनश्याम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 01.1.2008 को मौके पर जाकर नजरी नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त ट्रेक्टर का वाहन परीक्षण अनिल

वराडे द्वारा कराया था। थाना रूपझर से मर्ग क्रमांक 01/08 मृतक मूलचंद का मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा, शव परीक्षण फार्म, मृतक सुनील का मर्ग क्रमांक 02/08, मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा, नक्शा पंचायतनामा, शव परीक्षण आवेदन प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न किया था। दिनांक 15.12.2008 को उसने आरोपी गुड्डा उर्फ जयप्रकाश से एक ट्रेक्टर के दस्तावेज जप्तीपत्र प्रदर्श पी-9 अनुसार जप्त किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी-11 के माध्यम से उसके परिजन को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने ट्रेक्टर की ट्राली से जप्त मदिरा को परीक्षण हेतु आबकारी विभाग, बालाघाट भिजवा दिया था, जिसका जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 प्रकरण में संलग्न है। उक्त घटना में आहत सुनील एवं मूलचंद की मृत्यु होने से अंतिम प्रतिवेदन में धारा-304ए भा.द.वि. का इजाफा किया था।

(32) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा. 21) का कहना है कि वह दिनांक 01.10.2008 को थाना रूपझर में पदस्थ था। उसी दिनांक को चौकी बिठली से आरक्षक दिलीप तांडेकर क्र. 840 द्वारा अपराध क्र. 0/08, धारा-279, 337 भा.द.वि. की डायरी असल नंबरी हेतु लाने पर उसके द्वारा असल नंबरी अपराध क्र. 02/08, धारा-279, 337 भा.द.वि. का प्रदर्श पी-8 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(33) अभियोजन साक्षी आबकारी उपनिरीक्षक सतीश कुमार कश्यप (अ.सा. 20) का कहना है कि वह दिनांक 16.01.2008 को आबकारी उड़न दस्ता बालाघाट में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को थाना रूपझर के अपराध क्र. 02/08 के प्रकरण में जप्त एक कांच की बोतल में भरा द्रव सीलबंद 300 एम.एल. शराब मुलाहिजा हेतु प्रधान आरक्षक कुंवर बिसेन क्र. 474 द्वारा लाने पर उसके द्वारा विधिवत सील तोड़कर परीक्षण किया था। शराब को देखने पर रंगीन द्रव दिखाई दे रहा था। चखने पर हाथभट्टी मदिरा का स्वाद था। सूंघने पर हाथभट्टी का गंध एवं



लिट्मस टेस्ट द्रव में नीला पेपर डालने पर पेपर गुलाबी पाया। द्रव की मात्रा कम होने से तेजी मापी नहीं जा सकी। उसे द्रव परीक्षण का छः वर्ष का अनुभव है। जिसके आधार पर उसने उपरोक्त द्रव को हाथभट्टी मदिरा पाया। परीक्षण पश्चात विधिवत सीलबंद कर वापस किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर है।

(34) अभियोजन साक्षी डॉ. वी.पी.समद (अ.सा. 8) का कहना है कि वह दिनांक 02.1.2008 को आहत अजय उइके व. चंदुलाल को परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण में आहत अपनी बांयी कॉलर हड्डी (क्लेविकल) के उपर दर्द होने की शिकायत कर रहा था। उस स्थान पर सूजन तथा दर्द होना पाया था। उसने एक्सरे की सलाह दी थी। दाहिने घुटने पर खरोंच का निशान था जो कठोर वस्तु द्वारा आना प्रतीत होता है, जो साधारण प्रकृति की थी। बांये घुटने में खरोंच के निशान था, जो कठोर वस्तु द्वारा कारित होना पाया, जो सामान्य प्रकृति की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

(35) अभियोजन साक्षी डॉ. डी.के.राउत (अ.सा. 19) का कहना है कि वह दिनांक 07.1.2008 को एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसकी बाएं तरफ की क्लेविकल हड्डी (हड्डी बोन) के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 01.1.2008 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत रविशंकर पिता पूनाराम के बाएं टखने के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 17 था। उसे डॉक्टर धुर्वे ने रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का उसने दिनांक 03.1.2008 को परीक्षण पर उसके बाएं तरफ की कैल्केमियम हड्डी(एड्री की) में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-16 है। उसी दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत अनिल उइके पिता सूबेलाल के दाहिने जांघ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 16 था। उसे डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था।

उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसकी जांघ की हडडी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-18 है। उसी दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत अनिल कुमार पिता रमेश के सीने की हडडी का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 12 था। उसे डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके सीने की हडडी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-20 है। उसी दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत सुखदेव पिता कलीमसिंह के बाएं कंधे के जोड़ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 9 था। उसे डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर एक्सरे कराने लाया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके कंधे की हडडी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसके द्वारा दी गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-22 है।

(36) अभियोजन साक्षी डॉ. के.के. पाराशन (अ.सा. 22) का कहना है कि वह दिनांक 01.1.2008 को आहत मूलचंद पिता तेजलाल का शव परीक्षण करने पर शरीर पर अकड़, पेट फुला हुआ, पेट पर एक छिला हुआ घाव था। चोट मृत्यु पूर्व की थी। उसके शरीर के सभी अंग रक्त की कमी से सफेद पड़ गए थे। उसका लीवर फटा, स्लीलिन फटी थी और एब्डामेनल रक्त से भरा था। मूत्राशय और जननेंद्रिय खाली थी। उसके विचार से मृत्यु का कारण लीवर और स्पीलिन के फटने के कारण उसकी मृत्यु हुई। शव परीक्षण मृत्यु के 24 घंटे के भीतर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-23 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को सुनील पिता सुखलाल के शव परीक्षण पर छाती पर सामने सूजन, सिर के दाहिने तरफ कंटूजन, पीछे के दाहिने तरफ एक छिला घाव था। उक्त चोटें मृत्यु पूर्व की थी। सिर के दाहिने तरफ टेम्पोरल बोन टूटी थी और इसके कारण मस्तिष्क के अंदर खून भर गया था। दाहिना फेफड़ा फट जाने के कारण खून इकट्ठा था। उसके हृदय में चोट थी और वह भी फट गया था।

शरीर के अन्य भाग रक्त की कमी के कारण पीले पड़े थे। पसली दाहिने तरफ की चार, पांच एवं छः टूटी हुई थी। उसके मत से उसके स्कल फ्रेक्चर, सिर की हड्डी टूटने से एवं फेफड़े एवं हृदय का फट जाना मृत्यु का कारण था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(37) किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने दिनांक 01.01.2008 को रात्रि 0.45 बजे बिठली से लूद मेन रोड़ थाना रूपझर के अन्तर्गत ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर वाहन में बैठे संतोष, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उयके को साधारण उपहति तथा अजय उयके, रविशंकर घोर उपहति कारित की तथा मूलचंद गोण्ड एवं सुनील गोण्ड की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 01.01.2008 को रात्रि 0.45 बजे बिठली से लूद मेन रोड़ थाना रूपझर के अन्तर्गत ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर वाहन में बैठे संतोष, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उयके को साधारण उपहति तथा अजय उयके, रविशंकर घोर उपहति कारित की तथा मूलचंद गोण्ड एवं सुनील गोण्ड की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

(38) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने दिनांक 01.01.2008 को रात्रि

0.45 बजे बिठली से लूद मेन रोड थाना रूपझर के अन्तर्गत ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर वाहन में बैठे संतोष, समीर, विशाल, अरविंद, जितेन्द्र, दिनेश, रविन्द्र, सुखदेव, अनिल, अनिल उयके को साधारण उपहति तथा अजय उयके, रविशंकर घोर उपहति कारित की तथा मूलचंद गोण्ड एवं सुनील गोण्ड की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। यह सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(39) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-10), 338(काउन्टस-2), 304ए(काउन्टस-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(40) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(41) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50 ए. 0659 एवं ट्राली नम्बर 0660 तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो एवं जप्तशुदा एक कांच की शीशी जिसमें 300 एम.एल. कच्ची शराब व एक गिलास मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)